उत्तर प्रदेश

[ख१] [नगर निगम] अधिनियम, १९५९ [ख२]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, सन् १९५९ [ख३])

(अद्यतन संशोधित)

उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों के लिए [१][नगर निगमों] की स्थापना की व्यवस्था करने का अधिनियम

यह इष्टकर है कि कतिपय नगरों में नगर निगमों की स्थापना के लिए व्यवस्था की जाये जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर–शासन सुनिश्चित हो सके ; अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ–[ख४][**(१),** यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५९ कहा जायेगा ;,

(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा ;

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रवृत्त हो जायेगा और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध, जहाँ तक उनका सम्बन्ध किसी नगर (city) से है, ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे [ख५][और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं] :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम के अधीन किसी नगर के लिए [ख६][निगम] का संगठन करने के सीमित प्रयोजन के लिए अध्याय के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं –

(क) नगर में कक्षों (wards) का परिसीमन ;

(ख) निर्वाचक सूचियों (electoral rolls) का तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन;

(ग) किसी [ख७][निगम] का नगर–प्रमुख, [ख८][* * *] या सभासद चुने जाने तथा नगर प्रमुख, [२][ ] या सभासद निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त अर्हताएँ ; और

(घ) सामान्यतया, निर्वाचन का संचालन तथा [१][निगम] के यथावत् संगठन (constitution) के लिये आवश्यक अन्य समस्त विषय ;

धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त नगर में और उसके सम्बन्ध में प्रवर्तित होंगे और किन्हीं अन्य विधायनों (enactments) में किसी बात के रहते हुए भी [१][निगम] के यथावत् संगठन के लिए उक्त अध्याय तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन करने के निमित्त ऐसे समस्त कार्य तथा कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, जो आवश्यक हों।

२. परिभाषाएँ–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

(१) *"विज्ञापन"* (advertisement) से तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह, विज्ञापन फलक (playcard board), नोटिस, युक्ति (device) अथवा प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिये अनुकूलित कर लिये गये हों ;

(२) *"नियत दिन"* (appointed day) से किसी नगर के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह दिन जिस पर उक्त नगर के लिए [१][निगम] का यथावत् संगठन गजट में विज्ञापित कर दिया जाय;

(३) *"विधान सभा की सूचियाँ"* (Assembly Rolls) से तात्पर्य है ऐसी निर्वाचक सूचियाँ जो रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन और अनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये तैयार की गई हों ;

(४) *"नानबाई की दुकान या नानबाई ग्रह"* (backery or Foak-house) से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जिसमें बिक्री या लाभ के लिए किसी भी रीति से रोटियाँ (bread), बिस्कुट या लेमनजूस आदि मिठाइयाँ (confectionery) सेंकी, पकाई या तैयार की जाती हों;

(५) *"बजट अनुदान"* से तात्पर्य है ऐसी कुल धनराशि जो नियमों द्वारा विहित किसी मुख्य शीर्षक (major head) में बजट के तखमीनों

के व्यय के अन्तर्गत दिखाई हो तथा [1][निगम] द्वारा अंगीकृत हो और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जिसके द्वारा ऐसा बजट अनुदान इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अनुसार अन्य शीर्षकों से, या को स्थानान्तरित (transfer) करके बढ़ाया या घटाया जाय;

(६) *''भवन''* के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष (out-house), अस्तबल, छादक (shed), झोपड़ी तथा अन्य घिरा हुआ स्थान (enclosure) या ढाँचा (structure) है, चाहे वह पत्थर (masonry), ईंट, लकड़ी, मिट्‌टी (mud), धातु से या अन्य किसी भी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्य के रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत बरामदे, स्थिर चबूतरे (fixed platforms), मकानों की कुर्सियाँ (plinths), दरवाजे की सीढ़ियाँ (door-steps), दीवालें तथा हातों की दीवालें (compound-wall) और बाड़ (fencing) तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य वहनीय अस्थायी ढाँचा (portable temporary structure) नहीं है ;

(७) *''भवन पंक्ति''* (building line) से तात्पर्य है वह पंक्ति जो ''सड़क रेखाकरण'' (street alignment) के पृष्ठ भाग में हो, तथा जिस तक सड़क से लगी हुई भवन की मुख्य दीवार वैध रूप से बढ़ायी जा सकती हो जिसके आगे भवन का कोई भाग बढ़ाया न जा सकता हो, सिवाय उस दशा के जो भवन संबंधी नियमों में विहित की गयी हो;

(८) *''उपविधि''* से तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि;

(९) *''मलकूप''* (cesspool) के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी (settlement tank) या अन्य टंकी है जो भवनों से निकलने वाली गलीज (foul matter) को ग्रहण करने, उसके निस्तारण (disposal) के लिये हो;

[ख९][(१०)] *''नगर''* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद २४३–थ के खण्ड (२) के अधीन यथा अधिसूचित वृहत्तर नगरीय क्षेत्र से है] ;

[ख१०][(१०–क) *''वाणिज्यिक भवन''* का तात्पर्य किसी ऐसे भवन से है जो कारखाना न हो और जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिये किया जाय] ;

(११) किसी नगर के सम्बन्ध में *''डिवीजन के कमिश्नर''* से तात्पर्य है उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें उक्त नगर स्थित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त कमिश्नर भी है जिसे डिवीजन के कमिश्नर ने इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य प्रतिनिधानित कर दिये हों;

[ख११][(११–क) *''निगम''* या *'नगर निगम'* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद २४३–थ के खण्ड (१) के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिये संगठित नगर निगम से है] ;

(१२) *''घनाकार स्थान''* (cubical contents) से, जब उसका प्रयोग किसी भवन की माप के प्रसंग में किया गया हो, तात्पर्य यह है वह स्थान (space) जो उसकी दीवारों और छत के वाह्य (external) धरातलों तथा उसके सबसे नीचे के खंड (storey) का हो, उसके फर्श के ऊपरी धरातल में समाविष्ट हों;

(१३) *''दुग्धशाला''* (dairy) के अन्तर्गत ऐसा कोई फार्म (farm), पशुशाला (cattle shed), दूध की दुकान या अन्य ऐसा स्थान है, जहाँ से विक्रय के लिए दूध दिया जाता हो या जहाँ बेचने के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता हो, या जहाँ बेचने के लिए दूध से मक्खन, घी, पानी (cheese), दही या सुखाया हुआ अथवा जमाया हुआ (dried or condensed) दूध तैयार किया जाता हो और ऐसे ग्वाले (dairy-men) के सम्बन्ध में, जिसके अध्यसन में दूध बेचने के लिए कोई स्थान नहीं है, दुग्धशाला के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहाँ वह दूध बेचने के लिए प्रयुक्त अपना पात्र (vessel) रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दुकान या अन्य स्थान नहीं है जहाँ केवल वहाँ पर ही उपयोग के लिए दूध बेचा जाता हो;

(१४) *''ग्वाला''* (dairy-man) के अन्तर्गत गाय, भैंस, बकरी, गधी (ass) या अन्य पशु का, जिसका मनुष्यों के उपयोग (consumption) के निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत किया जाता हो या प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, रक्षक (keeper) और दूध लाकर जुटाने वाला (purveyor) तथा दुग्धशाला का अध्यासी (occupier) भी है;

(१५) *''दुग्धशाला के पदार्थ''* (dairy produce) के अन्तर्गत दूध, मक्खन, घी, दही, मट्‌ठा (butter milk), पनीर (cheese) तथा दुग्धजन्य सभी पदार्थ हैं ;

(१६) *''भयानक रोग''* (dangerous disease) से तात्पर्य है हैजा, ताऊन (plague) चेचक (smallpox) या अन्य कोई ऐसा संक्रामक (epidemic) तथा संसर्गजन्य (infectious) रोग, जिससे मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जिससे [ख१२][निगम] समय–समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा भयानक रोग घोषित करें;

(१७) [ख१३][* * *]

[14][(१७–क) *''निदेशक''* का तात्पर्य धारा ५–क के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;]

(१८) *'जिला जज''* के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त जिला जज भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला जज का कोई कृत्य हस्तान्तरित किया गया हो;

(१९) *''नाली''* (drain) के अन्तर्गत नाला (sewer), सड़क के नीचे की नालियाँ (tunnel), पाइप, खाई (ditch), जलमार्ग (gutter) अथवा प्रणाली (channel), जल कुण्ड, (cistern), फ्लश टंकी (flush-tank), मल टंकी (septic-tubs), या कोई अन्य युक्ति (device), जो मल इत्यादि या दुर्गन्धित पदार्थ (sewage or offensive matter), दूषित–जल (polluted water), कूड़ा–करकट (sullage), बेकार जल, नाली के जल अथवा उपभूमिगत जल (sub-soil water) को ले जाने अथवा उसके बहाने के लिये प्रयुक्त होते हों, तथा उनसे संसक्त (connected) कोई पुलिया, संजीवन दण्ड (ventilation shaft) या पाइप अथवा अन्य उपकरण या संधायन (fittings) हैं। नाली के अन्तर्गत

किसी स्थान से मल इत्यादि अथवा दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को उठाने, एकत्र करने, निकालने अथवा हटाने के लिये प्रयुक्त कोई निष्कासक (ejector), दबी हवा से युक्त प्रणाल (compressed air mains), मल इत्यादि के मुहरबन्द प्रणाल (sealed sewage mains) तथा कोई विशेष यंत्र अथवा उपकरण भी हैं;

(२०) *''भोजनालय''* (eating-house) से तात्पर्य है कोई ऐसा भू–गृहादि (premises) जहाँ जनता अथवा जनता का कोई वर्ग (section) जा सकता हो और जहाँ वहीं अथवा अन्यत्र किसी ऐसे व्यक्ति के जो उक्त भू–गृहादि का स्वामी हो अथवा उसमें कोई स्वत्व (interest) रखता हो या उसका प्रबन्ध करता हो, लाभ अथवा फायदे के लिये किसी प्रकार का भोजन तैयार या सम्भारित (supplied) किया जाता है;

(२१) *''निर्वाचक''* से किसी कक्ष (ward) के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो;

[ख१५][(२२) *''आवश्यक सेवाएँ''* से तात्पर्य है धारा १२२–ख में निर्दिष्ट सेवा;]

(२३) *''फैक्ट्री''* (factory) से तात्पर्य है [ख१६][* * *] फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ में परिभाषित कोई फैक्ट्री (factory);

(२४) *''गलीज''* (fifth) के अन्तर्गत मल इत्यादि, विष्ठा तथा अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ है;

[ख१७][(२४–क) *''वित्त आयोग''* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद २४३–झ [ख१८][के अधीन संगठित] वित्त आयोग से है;

(२५) *''वित्तीय वर्ष''* (financial year) से तात्पर्य है, पहली अप्रैल से आरम्झ होने वाला वर्ष ;

(२६) *''भोजन''* (food) के अन्तर्गत भेषजों (drugs) अथवा जल से भिन्न ऐसी प्रत्येक वस्तु है, जो मनुष्य द्वारा खाने अथवा पीने के काम में लायी जाती हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी है जो सामान्यतया मनुष्यों का भोजन तैयार करने अथवा बनाने में डाली जाती हो अथवा प्रयुक्त होती हो, तथा उसके अन्तर्गत मिठाइयाँ, स्वादिष्ट बनाने की तथा रंगने की वस्तुएँ, मसाले एवं चटनी (condiments) भी हैं;

(२७) *''ढांचे पर बने भवन''* (frame building) से तात्पर्य है ऐसा भवन, जिसकी बाहर की दीवारें लकड़ी अथवा लोहे की बनी हों, जिनका स्थायित्व उस ढांचे पर निर्भर करता हो;

(२८) *''गृह–नाली''* (house-drain) से तात्पर्य है व नाली जो एक या एकाधिक भवनों या भू–गृहादि की नाली हो और उसके जल–निस्तारण के लिये प्रयुक्त होती हो, और केवल [ख१९][निगम] की नाली से मिलाने के प्रयोजन के लिये बनाई गई हो;

(२९) *''गृह–पथ''* अथवा *''सेवा पथ''* (house gully or service passage) से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी (strip of land) जो नाली के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुँचाने के लिये [१][निगम] के कर्मचारियों के अथवा उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहाँ से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहाँ तक पहुँचने के लिये मार्ग देने के लिए निर्मित की गई हो, अलग कर दी गई हो, अथवा उपयोग में लायी जाती हो;

(३०) *''कुटी''* (hut) से तात्पर्य है कोई ऐसा भवन जो मूलतः लकड़ी, मिट्टी, पत्तियों, घास, कपड़े अथवा फूस आदि से निर्मित किया गया हो तथा उसके अन्तर्गत किसी भी आकार का कोई ऐसा अस्थायी ढाँचा अथवा किसी भी 'सामान' से निर्मित कोई ऐसा छोटा भवन भी है, जिसे [१][निगम] इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये 'कुटी' घोषित कर दे;

(३१) *''निवासी''* (inhabitant) से किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सामान्यतया निवास अथवा कारबार करता हो, अथवा वह अचल सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो;

(३२) *''न्यायाधीश''* (Judge) से तात्पर्य है प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७ के अधीन नगर में क्षेत्राधिकार रखने वाले लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) का न्यायाधीश;

(३३) *''भूमि''* के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा हो, अथवा निर्माण हो चुका हो, अथवा जो पानी से ढँकी हो, भमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, जमीन से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुयें, और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन (legislative enactment) द्वारा सृजित हुए हों;

(३४) *''अनुज्ञप्त नल मिस्त्री''* (licensed plumber), *''अनुज्ञप्त भूमापक''* (licensed surveyor), *''अनुज्ञप्त वास्तुशास्त्री''* (licensed architect), *''अनुज्ञप्त अभियन्ता''* (structural designer) तथा *''अनुज्ञप्त निर्माण लिपिक''* (clerk of works) से तात्पर्य है, वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन [१][निगम] ने क्रमशः नल मिस्त्री, भूमापक, वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढाँचे का निर्माता (structural designer) अथवा निर्माण लिपिक के रूप में अनुज्ञप्त किया हो;

(३५) *''निवास गृह''* (lodging house) से तात्पर्य है कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग, जहाँ कि धन के प्रतिफल (monetary consideration) में भोजन अथवा अन्य सेवा के सहित अथवा उनसे रहित निवास की व्यवस्था की जाती हो, और इसके अन्तर्गत भवनों का ऐसा समुदाय (collection) अथवा कोई भवन अथवा भवन का भाग भी है जो धन देकर अथवा अन्यथा तीर्थ–यात्रियों अथवा यात्रियों को ठहराने के लिए प्रयुक्त होता हो;

(३६) *''बाजार''* (market) के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान है, जहाँ पशु–धन अथवा पशुओं के लिये खाद्य–पदार्थ अथवा मांस, मछली, फल, साग–सब्जी, मनुष्यों के भोजन के लिये अभिप्रेत पशु अथवा मनुष्यों के भोजन के अन्य पदार्थ, चाहे वे कुछ भी हों, के विक्रय के लिये अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के निमित्त लोग ऐसे स्थान के स्वामी की अनुमति से अथवा बिना उसकी अनुमति के एकत्रित हों, चाहे वहाँ

क्रेताओं के एकत्र होने के सम्बन्ध में कोई सामान्य विनियमन न हो, और चाहे उस स्थान के स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ''बाजार'' के कारबार पर अथवा बाजार में आने–जाने वाले व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो अथवा न रखा जाता हो;

(३७) *''पक्का भवन''* (masonry building) से तात्पर्य है ढाँचे पर बने भवन अथवा कुटी से भिन्न कोई भवन और इसके अन्तर्गत ऐसा

ढाचा (structure) भी है, जिसका पर्याप्त भाग इंट, पत्थर अथवा फौलाद अथवा लोहा या अन्य किसी धातु से बना हो;

[20][(३८) *''निगम का सदस्य''* का तात्पर्य किसी सभासद, पदेन सदस्य, नाम–निर्दिष्ट सदस्य या धारा ५ के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित किसी समिति, यदि कोई हो, के अध्यक्ष, के अध्यक्ष, यदि वह निगम के सदस्य नहीं हैं, से हैं और, जब तक कोई प्रतिकूल बात व्यक्त न की गयी हो, इसके अन्तर्गत नगर प्रमुख भी हैं;]

[2][(३९) *'मुख्य नगर अधिकारी'* का तात्पर्य धारा ५८ के अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन नियुक्त अपर मुख्य नगर अधिकारी और धारा १०७ के अधीन नियुक्त कोई उप नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी भी हैं, जब से धारा ११२ के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहें हो;]

(४०) *''[२][निगम] की नाली''* से तात्पर्य है [२][निगम] में निहित कोई नाली;

(४१) *''[२][निगम] की बाजार''* से तात्पर्य है कोई बाजार जो [२][निगम] में निहित कोई नाली ;

(४२) *''[२][निगम] की वधशाला''* से तात्पर्य है कोई वेधशाला जो [२][निगम] में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध [२][निगम] द्वारा किया जाता हो;

(४३) *''[२][निगम] की कार्यालय''* से तात्पर्य है [२][निगम] का कार्यालय ;

(४४) *''[२][निगम] की कर''* से तात्पर्य है कोई लाभकर (impost) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाया गया हो ;

(४५) *''[२][निगम] जलकल''* से तात्पर्य है वह जलकल जो [२][निगम] का हो अथवा उसमें निहित हो;

(४५–क) *''महानगर क्षेत्र''* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद २४३–त के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित क्षेत्र से है;

(४५–ख) *'नगरपालिका''* का तात्पर्य धारा ४ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की किसी संस्था से हैं ;

(४५–ग) *''नगरपालिका क्षेत्र''* का तात्पर्य किसी निगम के प्रोदशिक क्षेत्र से हैं;]

(४६) ''अपदूषण'' (nuisance) के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य, कार्यलोप (omission), स्थान या वस्तु है, जिससे कि चक्षु, प्राण अथवा श्रवण की इन्द्रियों को क्षति, संकट, उद्वेजन अथवा कष्ट पहुँचे अथवा पहुँचने की संभावना हो, अथवा जो जीवन के लिये संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो; अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो;

(४७) *''अध्यासी''* के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(क) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता हो अथवा देय हो, तत्समय उसके स्वामी को किराया अथवा उसका कोई भाग दे रहा हो अथवा उसके लिए देनदार हो;

(ख) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उसे प्रयोग में ला रहा हो;

(ग) किराया–मुक्त किरायेदार या काश्तकार (tenant);

(घ) किसी भूमि अथवा भवन का अध्यासी अनुज्ञप्तिगृहीता (licensee);तथा

(ङ) कोई भी व्यक्ति जो किसी स्वामी को किसी भूमि अथवा भवन के अध्यासन अथवा प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति (damages) का देनदार (liable) हो;

(४८) *''दुर्गन्धयुक्त पदार्थ''* के अन्तर्गत पशुओं की लाशें, गोबर, धूल तथा मल इत्यादि से भिन्न दुर्गन्धित सड़े अथवा सड़ाने (putrid or putrefying) वाले पदार्थ हैं;

(४९) *''[ख२१][निगम] का पदाधिकारी''* से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति, जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सृजित अथवा जारी रखे गये किसी पद पर आसीन हो, किन्तु उसके अन्तर्गत [१][निगम] अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य न होंगे;

(५०) *''सरकारी गजट''* से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रचारित गजट;

(५१) *''आज्ञा''* से तात्पर्य है वह आज्ञा जो सरकारी गजट में अथवा विहित रीति से प्रकाशित की गई हो ;

[ख२२][(५१–क) *''पिछड़े वर्गों''* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के लिये आर क्षण) अधिनियम, १९९४ की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;]

नोट – उ०प्र लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९४ [ख२३] की अनुसूची निम्नवत् है :–

अनुसूची–एक

[देखिए धारा २(ख)]

१.	अहीर	१५. गड़ेरिया
२.	अरख	१६. गद्दी
३.	काछी	१७. गिरि
४.	कहार	१८. चिकवा (कस्साब)
५.	केवट या मल्लाह	१९. छीपी
६.	किसान	२०. जोगी
७.	कोईरी	२१. झोजा
८.	कुम्हार	२२. डफाली
९.	कुर्सी	२३. तमोली
१०.	कम्बोज	२४. तेली
११.	कसगर	२५. दर्जी

११. [illegible] २५. [illegible]
१२. कुंजड़ा या राईन २६. धीवर
१३. गोसाईं २७. नक्काल
१४. गूजर

२८. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों) ४२. मुराब या मुराई
४३. मोमिन (अंसार)
२९. नायक ४४. मिरासी
३०. फकीर ४५. मुस्लिम कायस्थ
३१. बंजारा ४६. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
३२. बढ़ई ४७. मारछा
३३. बारी ४८. रंगरेज
३४. बैरागी ४९. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
३५. बिन्द ५०. लोहार
३६. बियार ५१. लोनिया
३७. भर ५२. सोनार
३८. भुर्जी या भड़भूजा ५३. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों
३९. भठियारा ५४. हलवाई
४०. माली, सैनी ५५. हलवाई
४१. मनिहार ५६. हज्जाम (नाई)

(५२) *''स्वामी''* से तात्पर्य है–

(क) किसी भू–गृहादि के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने पर वह व्यक्ति जो उक्त भू–गृहादि का किराया लेता हो अथवा उक्त भू–गृहादि किराये पर उठाये जाने की दशा में उसका किराया लेने का अधिकारी हो तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :

(१) कोई अभिकर्त्ता अथवा न्यासी जो स्वामी के लिए किराया प्राप्त करता हो ;

(२) कोई अभिकर्त्ता अथवा न्यासी जो धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिए समर्पित (devoted) किसी भू–गृहादि का किराया लेता हो अथवा जिसे उक्त भू–गृहादि सौंपा गया हो या जिसका सम्बन्ध उक्त भू–गृहादि से हो;

(३) कोई आदाता, व्यवस्थापक, अथवा प्रबन्धक जिसे सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय ने उक्त भू–गृहादि को अवधायन (charge) में लेने अथवा उसके स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो ; तथा

(४) भोग–बन्धकी (mortgagee-in-possession);

(ख) किसी पशु वाहन अथवा नाव के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने पर इस (स्वामी) के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो तत्समय उक्त पशु वाहन अथवा नाव का अवधायक (incharge) हो ;

[ख२४][(५२–क) *''पंचायत''* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद २४३–त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है;]

(५३) *''भवन का भाग''* के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या मार्ग (underground room or passage), बरामदा, स्थित चबूतरा, कुर्सी, जीना या दरवाजे की सीढ़ी है, जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो या जो ऐसी भूमि पर बनी हुई हो, जो प्रस्तावित (projected) भवन का स्थल (site) या अहाता होने वाली हो ;

[१][(५३–क) *''जनसंख्या''* का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;]

[ख२५][(५४) *''भू–गृहादि''* का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है;]

(५५) *''विहित''* का तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत बने नियम या आज्ञा द्वारा या किसी अन्य विधायन द्वारा या उसके अधीन विहित;

(५६) *''विहित प्राधिकारी''* से तात्पर्य है कोई पदाधिकारी या निगमित संस्था जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्ति की गयी हो और यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या निगमित संस्था नियुक्त न की जाय, तो उस डिवीजन का कमिश्नर, जिसमें वह नगर स्थित हो;

(५७) *''पेट्रोलियम''* से तात्पर्य [ख२६][पेट्रोलियम ऐक्ट, १९३४] में पारिभाषित पेट्रोलियम;

(५८) *''निजी सड़क''* से तात्पर्य है कोई सड़क जो सार्वजनिक सड़क न हो;

(५९) *''संडास''* (privy) से तात्पर्य है वह स्थान, जो शौच–निवृत्ति या लघुशंका–निवृत्ति या दोनों के लिए अलग कर दिया

गया हा आर इसम वह ढाचा, ाजसस यह स्थान बनाया गया हा, उसक भातर मल–मूत्राद क ालए रखा गया बतन तथा उसस ससक्त संधायन (fittings) और उपकरण, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे। इसके अन्तर्गत शुष्क प्रकार का नाबदान, जल संडास (aqua privy), शौचालय तथा मूत्रालय भी हैं;

(६०) ''*सार्वजनिक स्थान*'' के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या उद्यान या कोई मैदान (ground) है, जिनमें जन–साधारण जा सकते हैं या उन्हें वहाँ जाने की अनुमति हो;

(६१) ''*सरकारी प्रतिभूतियाँ*'' (public securities) से तात्पर्य है–

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ ;

(ख) प्रतिभूतियाँ, सम्भार (stocks), ऋणपत्र (debentures) या अंशक (shares) जिन पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने ब्याज संरक्षित किया हो;

(ग) धन के ऋणपत्र (debentures) या अन्य प्रतिभूतियाँ, जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनकी ओर से भारतीय गणतंत्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी किया गया हो;

(घ) प्रतिभूतियाँ, जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत की गयी हों जो सरकार एतदर्थ दे;

(६२) ''*सार्वजनिक सड़क*'' से तात्पर्य है कोई सड़क–

(क) जो अब तक [ख२७][निगम] की निधियों या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल की गई हो, जिसमें खडंजा लगाया गया हो, जो पक्की की गयी हो, जिसमें नालियाँ बनायी गई हों, नाले लगाये गये हों, या जिसकी मरम्मत की गयी हो; अथवा

(ख) जो धारा २६० के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय या जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन सार्वजनिक सड़क हो जाय।

(६३) (क) कोई व्यक्ति, किस निवास–गृह में ''रहने वाला'' (reside) समझा जाता है जिसे या जिसके कुछ भाग को वह सोने के कमरे के रूप में कभी–कभी प्रयोग करता है–चाहे व्यवधानों के साथ (interruptedly) या निरन्तर; और

(ख) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से यह न समझा जायगा कि उसने किसी निवास–गृह ''में रहना छोड़ दिया है'' कि वह उसमें अनुपस्थित है या उसके पास दूसरे स्थान पर दूसरा निवास–गृह है, जिसमें वह रहता है, यदि वह किसी भी समय उसमें लौट आने के लिए स्वाधीन हो और उसमें लौट आने के अभिप्राय का परित्याग न किया गया हो।

(६४) ''*कूड़ा–करकट*'' (rubbish) के अन्तर्गत भूल, राख, टूटी हुई ईंटे, बजरी (mortar), टुटे हुये शीशे, उद्यान अथवा अस्तबल का कूड़ा–करकट और किसी प्रकार का कूड़ा–करकट जो दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या मल इत्यादि न हो, हैं ;

(६५) ''*नियम*'' से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन बनाये गये नियम;

(६६) ''*अनुसूची*'' से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;

(६७) [ख२८][* * *]

(६८) ''*अनुसूचित बैंक*'' पद का वही अर्थ होगा, जो "Schedule Bank" अर्थ का रिजर्व बैंक आफॅ इण्डिया ऐक्ट, १६३४ में किया गया है ;

(६६) ''[ख२६]*[निगम] का सेवक तथा [] का कर्मचारी*'' से तात्पर्य है कोई व्यक्ति जो [निगम] से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो;

(७०) *''मल इत्यादि''* (sewage) से तात्पर्य है विष्ठा (nightsoil) और नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथा नालियों में पड़ी हुई अन्य वस्तुएँ (contents) और गन्दगी, गलीज आदि के स्थानों (sinks), स्नानघरों, अस्तबलों, पशुशालाओं तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों से निकला हुआ दूषित जल और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ और सब प्रकार के कारखानों (manufactories) से निकलने वाले तरल पदार्थ भी हैं;

(७१) ''*आकाश चिन्ह*'' (sky-sign) से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरूप (representation), जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देशन (direction) के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर या उसके ऊपर पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे (post), बल्ली (pole), ध्वजदंड (standard), चौखट या अन्य किसी अवलम्ब (support) के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो (supported or attached) और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :

(क) उक्त अवलम्ब का प्रत्येक भाग ; और

(ख) कोई गुब्बारा, हवाई छतरी (parachute) अथवा ऐसी ही अन्य कोई युक्ति (device), जो पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के प्रयोजनों के लिए कम में लायी गई हो और जो किसी भवन, ढांचे या किसी प्रकार के निर्माण (erection) पर या उसके ऊपर हो या जो किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके ‼ ऊपर हो या जो किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके ऊपर हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं समझे जायेंगे–

(१) ध्वज स्तम्भ (flagstaff), बल्ली, वायु–दिग्दर्शन पंख (weathercock) या वायु दशा सूचक यंत्र (vane) जब तक वे पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के लिए अनुकूलित या प्रयुक्त न किये गये हों।

(२) चिन्ह जो किसी ऐसे पटल (board) चौखट या अन्य प्रारूप (contrivance) पर हो जो किसी भवन की दीवाल या भित्ति (parapet) के सबसे ऊपरी भाग (top) पर, किसी कारनिस या दीवाल से सटकर बने हुये भागों (biockilog course) पर या किसी छत के किनारे (ridge) पर सुरक्षित रूप से लगाया गया हो और खुला–कार्य (open work) न हो और उक्त दीवाल, भित्ति या किनारे के किसी भाग के ऊपर तीन फीट से अधिक ऊँचाई तक न हो; या

(३) कोई प्रतिरूप (representation) जो केवल इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९०* में परिभाषित (defined), रेल प्रशासन (Railway Administration) के कारबार से सम्बन्ध रखता हो और जो पूर्णतः उक्त रेल–प्रशासन के किसी रेलवे–स्टेशन के चत्वर (yard), प्लेटफार्म अथवा स्टेशन के सन्निकट स्थान (approach) पर या उसके ऊपर या ऐसे भू–गृहादि पर या उसके ऊपर रखा गया हो और जो इस ढंग से रखा गया हो कि वह किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर न गिर सके;

(७२) *''विशेष निधि''* (special fund) से तात्पर्य है धारा १३६ के अधीन संगठित कोई निधि;

(७३) *''राज्य–सरकार''* से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार;

[ख३०][(७३–क) *''राज्य निर्वाचन आयोग''* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद २४३–ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है;]

(७४) *''सड़क''* (street) के अन्तर्गत कोई राजमार्ग, पुलियों–पुलों की ऊँची सड़क (causeway), पुल, मार्गसेतु (viaduct), मेहराब, पथ (road), गली, पगडंडी (footway), उपमार्ग, आंगन (court), सँकरी–गली (allry), घुड़सवारी का मार्ग या रास्ता–चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन–साधारण के आने–जाने या प्रवेश का अधिकार हो या जिसके ऊपर जन–साधारण लगातार बीस वर्षों से आते–जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों, है; और यदि किसी सड़क व पगडंडी और वाहन मार्ग दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही होंगे।

टिप्पणी

किसी सार्वजनिक मार्ग पर एक पंक्ति में बनी दूकानों तथा उस मार्ग के बीच बना हुआ खम्बेदार साथ–साथ चलने वाला खम्बेदार बरामदा एक सार्वजनिक पथ होता है। [गोपेश खन्न बनाम ए०डी०ए०, १९८८ यू०पी०एल०बी०ई०सी०, २१४ (खंडपीठी)।]

(७५) *''सड़क रेखाकरण''* (street alignment) से तात्पर्य है वह रेखा (line) जो किसी सड़क में सम्मिलित और उसका भाग बनी हुई भूमि को पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि से अलग करती हो;

(७६) *''मिठाई की दुकान''* से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि या किसी भू–गृहादि का वह भाग जो किसी आइसक्रीम अथवा अन्य किसी प्रकार की मिठाइयों की, चाहे वह किसी के लिए भी अभिप्रेत हो और चाहे उनका जो भी नाम हो और चाहे वे भू–गृहादि में या उसके बाहर उपभोग के लिए हों, बनाने, व्यवहृत करने या बिक्री के लिए संग्रह करने (manufacture, treatment or storage for sale) अथवा थोक या फुटकर विक्रय के निमित्त प्रयुक्त हो;

(७७) *''प्रेक्षागृह कर''* (theatre tax) से तात्पर्य है मनोविनोदों अथवा मनोरंजनों (amusements or entertainments) पर लगाया गया कर;

टिप्पणियाँ

क्या 'थियएटर कर' भारत के संविधान का अतिलंघन करता है?–इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चूँकि सिनेमा थिएटरों का उनकी सीटों की संख्या तथा उनकी स्थिति का

अवधारण करते हुये उनकी आय की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है और इसलिए ऐसा कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ का अतिलंघन हुआ है। [*डिलाइट टाकीज* बनाम *दी सिटी आफ जबलपुर कारपोरेशन,* ए०आई०आर० १९६६ एम०पी० २९८]।

कर का स्वरूप–यह कर उस मनोरंजन के कार्य पर अधिरोपित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप हम तमाशा देखते हैं, न किवह वृत्ति अथवा व्यापार पर कोई कर है। [*वेस्टर्न इण्डिया थिएटर लिमिटेड* बनाम *कैन्टोनमेन्ट बोर्ड,* पूना कैन्ट, ए०आई०आर० १९५५ एस०सी० ५८२]

थिएटर कर–इसके अन्तर्गत सिनेमा कर भी आता है [*निरंजन लाल भार्गव* बनाम *उ०प्र० राज्य, १९७२* ए०एल०जे० २७९]

(७८) *''व्यापारिक व्यर्थ द्रव्य पदार्थ''* (trade effluent) से तात्पर्य है कोई तरल पदार्थ, चाहे उसमें अन्य पदार्थों के कण घुले–मिले हों, और जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापारिक भू–गृहादि (trade premises) में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उत्पादित होती हो, और किसी व्यापारिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त भू–गृहादि में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उक्त प्रकार से उत्पादित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल इत्यादि नहीं है;

(७९) *''व्यापारिक भू–गृहादि''* (trade premises) से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि जो किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के लिये प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत हों;

(८०) *''व्यापारिक कूड़ा–करकट''* (trade refuse) से तात्पर्य है, और इसके अन्तर्गत सम्मिलित है किसी व्यापार, निर्माण

(८७) *''व्यापारिक कूड़ा–करकट''* (trade refuse) से तात्पर्य है, और इसके अन्तर्गत सम्मिलित है किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) या कारबार का कूड़ा–करकट;

(८९) *''वाहन''* (vehicle) के अन्तर्गत है यान (carriage), गाड़ी (cart), परिवहन (van), ठेला गाड़ी (dray), मोटर ठेला (truck), हाथ से चलायी जाने वाली गाड़ी, बाइसिकिल, ट्राइसिकिल, मोटरकार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन, जो सड़क पर प्रयुक्त किया जाता हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो ;

[१][(८२) *''कक्ष''* (ward) का तात्पर्य निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;]

[२][(८२–क) *''कक्ष समितियों''* का तात्पर्य [३][संविधान के अनुच्छेद २४३–घ में निर्दिष्ट] कक्ष समितियों से है;]

(८३) *''नाबदान''* (water closet) से तात्पर्य है ऐसा नाबदान जिसमें जल निस्सारण प्रणाली से संसक्त कोई पृथक् स्थिर पात्र (fixed receptacle) लगा हुआ हो, और जिसमें यंत्र द्वारा या स्वचालित (automatic) रूप से स्वच्छ जल से धोये जाने की पृथक् व्यवस्था हो;

(८४) *''जल सम्बन्ध''* (water connection) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(क) कोई टंकी (tank), जल कुण्ड (cistern), पानी निकालने का बम्बा (hydrant), बम्बा (stand pipe), मीटर अथवा नल (tap) जो किसी निजी पर स्थित हो और [४][निगम] के किसी जल–प्रनाड (water-main) अथवा पाइन से मिलता हो, और

(ख) पानी का पाइप जो उक्त टंकी (tank), जलकुण्ड, पानी निकालने के बम्बे, बम्बे, मीटर अथवा नल को उपर्युक्त जल प्रनाड अथवा पाइप से मिलाता हो ;

(८५) *''जलमार्ग''* (water course) के अन्तर्गत कोई नदी, सोता (stream) अथवा गूल (channel) है चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम ;

(८६) *''घरेलू प्रयोजनों के लिए जल''* के अन्तर्गत ऐसा पानी नहीं है जो ढोरों अथवा घोड़ों के लिए हो अथवा वाहनों को धोने के लिए हो, जब उक्त ढोर, घोड़े अथवा वाहन बिक्री या किराये के लिए रखे जाते हों अथवा समवाहक (common carrier) के पास हों और इसके अन्तर्गत किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) अथवा कारोबार अथवा भवन के प्रयोजनों के लिए अथवा बागों अथवा सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए अथवा निर्झर (fountains) अथवा अन्य किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनों के लिए जल, सम्मिलित नहीं है ;

(८७) *''जलकल''* (water-works) के अन्तर्गत कोई झील, सोता (stream), झरना (spring), कुएँ का पम्प (well pump), जलाशय, जलकुण्ड (cistern), टंकी (tank), प्रणाली (duct) चाहे वह ढकी हुई हो अथवा खुली हुई, बाँध (sluice), मुख्य पाइप (mainpipe), पुलियाँउ (culvert), इंजिन (engine), जल वाहन (water truck), पानी निकालने के बम्बे (hydrant), बम्बा (stand pipe), जल ले जाने की अन्य कोई व्यवस्था (conduct) और यंत्र (machinery), आदि तथा भूमि, भवन अथवा वस्तु है जो जल संभरण के लिए हों अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होती हों अथवा जल संभरण के स्रोतों (sources) की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती हों ;

(८८) *''कारखाना''* (workshop) से तात्पर्य है कोई भवन, स्थान अथवा भू–गृहादि अथवा उसका कोई भाग जो फैक्टरी न हेा और जहाँ अथवा जिसके ऊपर, वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को तथा नियोजक (employer) को प्रवेश करने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार हो और जहाँ अथवा जिनके अहाते अथवा घेरे (compound or precincts) के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी प्रक्रिया में सहायता देने के लिए अथवा उसके प्रासंगिक रूप में, शारीरिक श्रम करने वाले लोग नियोजित हों अथवा प्रयुक्त होते हों –

(क) कोई वस्तु अथवा उसका कोई भाग बनाना, अथवा

(ख) कोई वस्तु परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी सजावट करना अथवा उसे अंतिम रूप देना ; अथवा

(ग) किसी वस्तु को किसी के लिए अंगीकार करना।

[५][(८९) *''संक्रमणीशल क्षेत्र''* और *''लघुतर नगरीय क्षेत्र''* पदों के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, १९१६ में क्रमशः उनके लिये किये गये हैं ;]

[६][**३. वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा**–(१) संविधान के अनुच्छेद २४३–थ के खण्ड (२) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हों, ऐसे नाम के नगर से जाना जायेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें।

(२) जहाँ, संविधान के अनुच्छेद २४३–थ के खण्ड (२) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा, राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करें, वहाँ ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त समस्त, अधिसूचनायें, नियम, विनियम, उपविधियाँ, आदेश और निदेश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्सत कर, फीस और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे।]

————————

१. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९९४ द्वारा ''नगर महापालिका'' के स्थान पद शब्द ''नगर निगम'' तथा शब्द ''नगर महापालिकाओं'' के स्थान पर शब्द ''नगर निगमों'' प्रतिस्थापित किये गये।

२. उत्तर प्रदश ावधान सभा द्वारा ादनाक १५ ासतम्बर, १६५८ तथा उत्तर प्रदश ावधान पारषद न ादनाक १७ ासतम्बर, १६५८ की बैठक में पारित किया गया तथा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद २०१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक २२ जनवरी, १६५६ को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक २४ जनवरी, १६५६ को प्रकाशित।

३. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक १६ अप्रैल, १६५७ का उ.प्र. असाधारण गजट देखिए

४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ की धारा ४(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित।

६. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ की धारा ४ द्वारा शब्द ''विशिष्ट सदस्य'' निकाला गया।

ख्,. उ०प्र० अधिनियम संख्या २६ सन् १६६५ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

ख१०,. उ०प्र० अधिनियम संख्या ३ सन् १६८७ द्वारा बढ़ाया गया।

ख११,. उ०प्र० अधिनियम संख्या २६ सन् १६६५ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

ख१२,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

ख१३,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १६६४ द्वारा निकाला गया।

ख१४,. उ०प्र० अधिनियम संख्या ४१ सन् १६७६ द्वारा बढ़ाया गया।

ख१५,. उ०प्र० अधिनियम संख्या २१ सन् १६६४ की धारा २ द्वारा संशोधित किया गया।

ख१६,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १४ सन् १६५६ की धारा ३ द्वारा शब्द ''इंडियन'' निकाल दिया गया।

ख१७,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १६६४ द्वारा बढ़ाया गया।

ख१८,. उ०प्र० अधिनियम संख्या २६ सन् १६६५ द्वारा शब्द ''में निर्दिष्ट'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

ख१६,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १६६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

१. उ०प्र० अधिनियम सं० २६ सन् १६६५ द्वारा खण्ड ३८ एवं ३६ प्रतिस्थापित किये गये।
१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा बढ़ाया गया।
३. उ०प्र० अधिनियम सं० ४, सन् १६६४ जो उ०प्र० के असा० गजट, में दिनांक २३ मार्च, १६६४ को प्रकाशित हुआ।

१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा बढ़ाया गया।
१. उ०प्र० अधिनियम सं० २४, सन् १६७२ द्वारा रखा गया।
२. उ०प्र० अधिनियम सं० १४, सन् १६५६ की धारा ३ की उपधारा (२) द्वारा शब्दों ''इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट, १८६६'' के स्थान पर रखा गया
३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान शब्द ''निगम'' प्रतिस्थापित
१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
* अब रेल अधिनियम १६८६
१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा बढ़ाया गया

१. उ०प्र० अधिनियम सं० २६, सन् १६६५ द्वारा प्रतिस्थापित
२. उ०प्र० अधिनियम सं० २६, सन् १६६५ द्वारा जोड़ा गया
३. उ०प्र० अधिनियम सं० २६, सन् १६६५ द्वारा शब्द ''धारा ६–क के अधीन संगठित'' के स्थान पर रखा गया।
४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, सन् १६६४ द्वारा जोड़ा गया
२. उ०प्र० अधिनियम सं० २६, सन् १६६५ द्वारा धारा ३ प्रतिस्थापित की गयी